इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 338] भोपाल, सोमवार, दिनांक 18 जुलाई 2011—आषाढ़ 27, शक 1933

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2011

क्र. 16456-वि.स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 64 के उपबन्धों के पालन में, मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 22 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 18 जुलाई 2011 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २२ सन् २०११

मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, २०११

मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, १९५७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

धारा ३ का संशोधन. २. **मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, १९५७ (क्रमांक ७ सन् १९५७) की धारा ३ में, शब्द ''एक सौ करोड़ रुपये'' के स्थान पर, शब्द ''दो सौ करोड़ रुपये'' स्थापित किए जाएं.**

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि दो करोड़ रुपये के अग्रदाय के साथ १ नवम्बर, १९५६ को स्थापित की गई थी. चूंकि राज्य की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये यह रकम अपर्याप्त पाई गई, अतएव समग्र निधि में समय-समय पर वृद्धि की गई, वर्तमान में यह एक सौ करोड़ रुपये है. बाद में भी यह निधि आकस्मिकताओं से संबंधित अनवेक्षित व्ययों की पूर्ति करने के लिये अपर्याप्त पाई गई. योजना व्यय एवं अन्य व्यय में वृद्धि की दृष्टि से, यह समीचीन है कि समग्र आकस्मिकता निधि में वृद्धि की जाए. अतएव, यह प्रस्तावित है कि मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, १९५७ (क्रमांक ७ सन् १९५७) में यथोचित रूप से संशोधन करके, आकस्मिकता निधि को बढ़ाकर दो सौ करोड़ रुपये किया जाए.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ११ जुलाई २०११.

राघवजी
भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.''.

वित्तीय ज्ञापन

मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, २०११ के खण्ड-२ में प्रस्तावित प्रावधान किए जाने के परिणामस्वरूप राज्य शासन की संचित निधि पर प्रतिवर्ष अनुमानत: एक सौ करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार संभावित है. यह राशि आकस्मिकता निधि के रूप में राज्य सरकार को उपलब्ध रहेगी.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 343] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 19 जुलाई 2011—आषाढ़ 28 शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2011

क्र. 4436-244-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 22, सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
No. 22 OF 2011.

THE MADHYA PRADESH CONTINGENCY FUND (AMENDMENT) BILL, 2011.

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Contingency Fund Act, 1957.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows:—

Short title. 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Contingency Fund (Amendment) Act, 2011.

Amendment of Section 3. 2. In Section 3 of the Madhya Pradesh Contingency Fund Act, 1957 (No. 7 of 1957), for the words "one hundred crores rupees", the words "two hundred crores rupees" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Madhya Pradesh Contingency Fund was established on Ist November, 1956 with an imprest of two crores rupees. As this amount was found insufficient to meet the growing requirements of the State, the corpus of the Fund was raised from time to time, at present it stands at one hundred crores rupees. Lately even this amount has been found to be inadequate to meet unforeseen expenditure related to contingencies. In view of the increase in plan expenditure and other expenditure, it is expedient to raise the corpus of the Contingency Fund. It is, therefore, proposed to raise the Contingency Fund to two hundred crores rupees by amending the Madhya Pradesh Contingency Fund Act, 1957 (No. 7 of 1957) suitably.

2. Hence this Bill.

BHOPAL :
DATED the 11th July, 2011.

RAGHAVJI
Member-in-charge.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.